



2026:AHC:125890

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 16566 सन् 2026

कमलेश कुमार उर्फ कमलेश फाईटर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्षकार

आवेदक के ओर से अधिवक्ता : इरशाद अहमद, नरेन्द्र सिंह

विपक्षीगण के ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 35

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालयों को यह निर्देशित किया जाए कि आवेदक को विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका तथा समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ निष्पादित करने की अनुमति दी जाए तथा वही मुचलका/प्रतिभूतियाँ नीचे दिए गए कुल 10 मामलों में विधिमान्य रहेंगी;

(1) मुकदमा अपराध संख्या 120/2024, अन्तर्गत धारा 147,323,506,386,420 एवं 120बी भा.द.सं. के अधीन, थाना स्वरूप नगर, जनपद कानपुर नगर, (2) मुकदमा अपराध संख्या 124/2024, अन्तर्गत धारा 111, 308(5), 308(6), 351(3) बी.एन.एस. के अधीन, थाना नजीराबाद, जनपद कानपुर नगर, (3) मुकदमा अपराध संख्या 129/2024, अन्तर्गत धारा 147,386,452,506,34 भा.द.सं. के अधीन, थाना नजीराबाद, जनपद कानपुर नगर, (4) मुकदमा अपराध संख्या 1/2025, उ.प्र. गैंगस्टर एवं सामाजिक विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अधीन, पुलिस ऑफ 2024, अन्तर्गत धारा 308(5), 351(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. के अधीन, थाना कोलोनलगंज, जनपद कानपुर नगर, (5) मुकदमा अपराध

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 161/2025, अन्तर्गत धारा 308(6), 351(3), 3(5), 61(2) बी.एन.एस. एवं धारा 66 आई.टी. एक्ट के अधीन, थाना जाजमऊ, जनपद कानपुर जागर, (6) मुकदमा अपराध संख्या 352/2024, अन्तर्गत धारा 308(5), 308(6), 351(3), 352, 111 बी.एन.एस. के अधीन, थाना रावतपुर, जनपद कानपुर नगर, (7) मुकदमा अपराध संख्या 235/2023, अन्तर्गत धारा 193, 211, 527, 427, 452, 500, 511 भा.द.सं. के अधीन, थाना ककादेव, जनपद कानपुर नगर, (8) मुकदमा अपराध संख्या 156/2017, अन्तर्गत धारा 147, 307, 323, 427, 504, 506 भा.द.सं. के अधीन, थाना कोतवाली, जनपद कानपुर नगर, (9) मुकदमा अपराध संख्या 83/2013, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 336, 323, 504, 506, 34 भा.द.सं. के अधीन, थाना ककादेव, जनपद कानपुर नगर, (10) मुकदमा अपराध संख्या 98/2024, अन्तर्गत धारा 308(5), 351(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. के अधीन, थाना कोलोनलगंज, जनपद कानपुर नगर।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक 10 मामलों में सम्मिलित है। सभी मामलों में उसे जमानत प्रदान की जा चुकी है, किन्तु वह पृथक-पृथक जमानती मुचलके एवं प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने में असमर्थ है, अतः उसे एक मामले में एक व्यक्तिगत मुचलका तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, जिसे सभी 10 मामलों में मान्य समझा जाए। विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा हनी निषाद उर्फ मोहम्मद इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 8914-8915/2018, दिनांक 29.10.2018 को विनिश्चित मामले में पारित आदेश, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा धारा 482/378/407 संख्या 1974/2021 (शिव शंकर गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 12.05.2021 को पारित आदेश, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा धारा 482 आवेदन संख्या 15989/2022 (सुनील चक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य) में दिनांक 28.06.2022 को पारित आदेश तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा धारा 482 आवेदन संख्या 19972/2022 (जितेन्द्र गुप्ता उर्फ जीतू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य) में दिनांक 18.07.2022 को पारित आदेश पर विश्वास व्यक्त किया है तथा तर्क दिया है कि उक्त मामलों में स्थिति समरूप थी और न्यायालयों ने एक मामले में एक व्यक्तिगत मुचलका तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसे अन्य सभी मामलों में विधिमान्य

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझने तथा आवेदक(गण) की रिहाई हेतु अन्य सभी जमानत निर्णयों के पर्याप्त अनुपालन के रूप में समझे जाने का निर्देश दिया गया था। तर्क दिया गया है कि इसी प्रकार के समुचित निर्देश पारित किए जाएँ।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, जो उक्त प्रस्थापना तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों पर विवाद नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेखों, मामले के तथ्यों एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात, यह उपबंधित किया जाता है कि आवेदक को उन सभी 10 मामलों में, जिनका उल्लेख धारा 528 बी.एन.एस.एस. के आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र के प्रस्तर 06 में किया गया है, रु. 1 लाख के एक व्यक्तिगत मुचलके तथा समान राशि की दो प्रतिभूतियों (जिनमें से एक प्रतिभूति उसके परिवारजन की होगी तथा दूसरी किसी स्थानीय व्यक्ति की होगी) प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा, जो सभी 10 मामलों में विधिमान्य रहेगा।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

जून 5, 2026

जीएसएस

(माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।